उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–9
संख्या–742 / दो–9–18–26(7) / 90
लखनऊ दिनांक 26 मार्च,2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली,1975 व उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश–1982 के अधीन नियुक्ति विभाग में व्यहृत होने वाले प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्णय के स्तर के निर्धारण विषयक नियुक्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–अ0आ0सं0–115 / दो–6–1998,दिनांक 04.4.1998 में आंशिक संशोधन / परिवर्धन करते हुए शासकीय कार्यो में गतिशीलता लाने एवं कार्य प्रकिया का सरलीकरण हेतु नियुक्ति विभाग निम्नलिखित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कालम–2 में अंकित विषय के अनुसार कालम–3 में उल्लिखित निर्णय के स्तर को संशोधित करते हुए कालम–4 के अनुसार अधिकारियों को अधिकार प्रतिनिधानित करते है:–

क्रम सं0	विषय	निर्णय का वर्तमान स्तर	निर्णय का अब प्रस्तावित नवीन स्तर (अधिकार प्रतिनिधायन)
1	2	3	4
1	87–नियुक्ति अनुभाग–4 के अर्न्तगत व्यवहृत होने वाले सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर तैनात न्यायिक अधिकारियों के टेलीफोन / मोबाईल व्यय, विद्युत / जल शुल्क व्यय तथा समाचार–पत्र / पत्रिका व्यय / चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं अन्य मदो के सापेक्ष अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति।	न्यायिक सेवा के अधिकारियों के व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है। वर्तमान में मुख्य सचिव के अनुमोदन से स्वीकृति जारी की जाती है।	संबंधित विशेष सचिव / संयुक्त सचिव
2	88–आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 / सचिवालय सेवा के अधिकारियों के टेलीफोन / मोबाईल व्यय,विद्युत / जल शुल्क व्यय तथा समाचार–पत्र / पत्रिका व्यय की स्वीकृति से संबंधित कार्य।	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव	संबंधित विशेष सचिव / संयुक्त सचिव

3	89–नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अर्न्तगत मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रेस से प्राप्त बीजक एवं फोटो कापियर मशीनों के मरम्मत/रख– रखाव आदि से संबंधित बिलों की स्वीकृति एवं कन्टीजेन्सी के व्यय आदि।	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव	संबंधित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव

2– उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 अप्रैल,1998 एवं अधिकार प्रतिनिधायन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–1227/दो–6–2009–26(7)/90 दिनांक 30.3.2009, एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1402/दो–6–2012–26(7)/90 दिनांक 11.5.2012 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–2980/दो–6–2014–26(7)/90 दिनांक 04 जुलाई,2014, कार्यालय ज्ञाप संख्या–2082/दो–9–2017–26(7)/90 दिनांक 03 अगस्त,2017 एवं सम्बन्ध में समय–समय पर प्रतिनिधायन के संबंध मे निर्गत पूर्ववर्ती आदेशों की अन्य व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

3– उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश।
2– निजी सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव,मा0मुख्यमंत्री।
3– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव,नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग।
4– समस्त अधिकारीगण,नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग।
5– समस्त अनुभाग,नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग।
6– कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग,को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की अपेक्षा में।
7– अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।